**भारत सरकार**
**संसदीय कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2510**
**15 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए**

**युवा संसद प्रतियोगिता**

**2510. डॉ. थोल तिरुमावलवन:**

**क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार के पास विगत तीन वर्षों के दौरान विद्यालयों में आयोजित युवा संसद प्रतियोगिता का ब्यौरा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए कोई धनराशि खर्च की है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) और (ख):** संसदीय कार्य मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत वार्षिक रूप से विभिन्न विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है:-

I. शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अधीन विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता योजना।
II. केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना।
III. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना।

योजनाओं के अनुसार, प्रतियोगिताओं का आयोजन संबंधित मूल संगठनों यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के शिक्षा विभाग; केन्द्रीय विद्यालय संगठन; और नवोदय विद्यालय समिति द्वारा प्रायोजित विद्यालयों के बीच किया जाता है। विद्यालयों को संबंधित मूल संगठनों द्वारा अपने स्वयं के संगठनात्मक ढांचे के आधार पर प्रायोजित किया जाता है, न कि राज्यों के आधार पर।

दिल्ली के 31 विद्यालयों, 125 केंद्रीय विद्यालयों और 62 जवाहर नवोदय विद्यालयों ने 2019-20 की युवा संसद प्रतियोगिताओं में अपनी-अपनी योजनाओं के तहत भाग लिया। तथापि, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण 2020-21 और 2021-22 के दौरान कोई युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित नहीं की जा सकी।

**(ग) और (घ):** संबंधित योजनाओं के अनुसार, यह मंत्रालय युवा संसद की बैठक आयोजित करने के लिए भाग लेने वाले दिल्ली के प्रत्येक विद्यालय को 10,000/- रुपये तक के खर्च की प्रतिपूर्ति करता है। नवोदय विद्यालय समिति को क्षेत्रीय स्तर पर युवा संसद की बैठक आयोजित करने के लिए भाग लेने वाले प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 25,000/- रुपये और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता की मेजबानी करने के लिए 80,000/- रुपये तक की प्रतिपूर्ति की जाती है। तथापि, केंद्रीय विद्यालय संगठन के तहत विद्यालयों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त योजनाओं के अलावा, यह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक शैक्षिक संस्थानों/उच्च विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता की योजना भी कार्यान्वित करता है। वित्तीय सहायता युवा संसद की बैठकों के आयोजन के पश्चात राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से इसका दावा किए जाने पर निम्नलिखित सीमा के अनुसार प्रदान की जाती है:-

i. संघ राज्य क्षेत्र, जहां कोई विधानमंडल नहीं है - 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष
ii. वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिनके विधानमंडल की सदस्य संख्या 100 तक है - 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष
iii. वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिनके विधानमंडल की सदस्य संख्या 100 से 200 के बीच है - 4 लाख रुपये प्रतिवर्ष
iv. वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिनके विधानमंडल की सदस्य संख्या 200 से अधिक है - 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष

पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

**<u>तालिका-I</u>**

(अपनी-अपनी योजनाओं के तहत युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के शिक्षा विभाग और नवोदय विद्यालय समिति के तहत विद्यालयों के लिए की गई प्रतिपूर्ति)

| **क्र.सं.** | **युवा संसद प्रतियोगिता** | **वित्तीय वर्ष** | **मंत्रालय द्वारा की गई प्रतिपूर्ति (रुपये में)** |
|---|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के शिक्षा विभाग के तहत विद्यालयों के लिए | 2019-20 | 82,000/- |
| | | 2020-21 | 1,30,799/- |
| | | 2021-22 | 40,000/- |
| 2. | जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए | 2019-20 | 7,93,301/- |
| | | 2020-21 | 5,68,885/- |
| | | 2021-22 | शून्य |

**<u>तालिका-II</u>**

(राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक शैक्षिक संस्थानों/उच्च विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को की गई प्रतिपूर्ति)

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार की गई प्रतिपूर्ति (रुपये में) | की गई कुल प्रतिपूर्ति (रुपये में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019-20 | पश्चिम बंगाल | 5,00,000/- | 21,42,021/- |
| | | हिमाचल प्रदेश | 2,20,010/- | |
| | | मध्य प्रदेश | 5,00,000/- | |
| | | ओडिशा | 3,43,061/- | |
| | | हिमाचल प्रदेश | 2,78,950/- | |
| | | हरियाणा | 3,00,000/- | |
| 2. | 2020-21 | हिमाचल प्रदेश | 3,00,000/- | 14,22,406/- |
| | | हरियाणा | 2,96,063/- | |
| | | मध्य प्रदेश | 5,00,000/- | |
| | | ओडिशा | 3,26,343/- | |
| 3. | 2021-22 | मध्य प्रदेश | 4,91,022/- | 4,91,022/- |

***